अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकः एफ.55( )पीए / डीएलबी / पीएचई / कोरोना / 2021 / 151455-674 दिनांकः 27/12/2021

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त, राजस्थान।

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः—कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम हेतु गाईडलाईन एवं दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना करने बाबत्।

संदर्भः—1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग दिनांक 24.12.2021
2. निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान का पत्रांक 143798–144017 दिनांक 19.11.2021

उपरोक्त संदर्भ एवं पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की पालना सख्ती से की जावेंः—

- वर्तमान में दुनिया के कई देशों में एवं देश के कई राज्यों में तेजी से फैलने वाले नए ओमिक्रॉन वेरियंट को गंभीरता से लेते हुए, पूर्व की भांति आवश्यक रूप से लोगो को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना करने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यवाही की जावे।
- वैक्सीनेशन की अनिवार्यता पर सख्ती से पालना करने के क्रम में जहां भी वैक्सीनेशन की गति धीमी है वहां जागरूकता अभियान को गति देकर लक्ष्य हासिल किया जावे तथा जिला कलक्टर्स के साथ समन्वय कर निर्धारित आयु समूह का शत–प्रतिशत टीकाकरण की कार्यवाही में सहयोग करें।
- नो मास्क–नो एंट्री–नो मूवमेंट की सुनिश्चितता व मास्क नहीं लगाने पर कानून के अनुरूप सख्ती की जावें एवं भीड़भाड़ वाली जगहों पर प्रशासन की मदद से सख्ती बरती जावे।
- आवश्यकतानुसार मास्कों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
- कचरा वाहनों पर नयी जिंगलटोन (वाट्सएप ग्रुप पर शेयर किये गये अनुसार) चलाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (सोशल मीडिया व एफएम रेडियो इत्यादि) का उपयोग कर जन जागरूकता फैलाना।
- सार्वजनिक परिवहन के साधनों यथा ई–रिक्शा / साईकिल रिक्शा / ऑटो रिक्शा इत्यादि के माध्यम से माईक द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार।
- सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावे।
- विवाह स्थलों एवं सार्वजनिक आयोजनों में प्रोटोकॉल की पालना हेतु समझाईश, निर्धारित व्यक्तियों से अधिक व प्रोटोकॉल का उल्लघंन करने वालों पर शास्ती की वसूली।
- कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए निर्धारित पम्पलेट का वितरण स्वयं के स्तर पर जारी रखे। सफाई कर्मचारी घर–घर जाकर इनका वितरण करे
- नगर के मुख्य स्थानों पर हॉर्डिंग / बैनर लगाना व वॉल पेंटिंग करवाना।

- ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा से माईक द्वारा एनसीसी/एनएसएस/स्काउटगाईड/सिविल डिफेन्स के माध्यम से रोको–टोको अभियान का संचालन।
- जन जागरूकता रैली का संचालन नियमित रूप से किया जावे।
- हाई रिस्क एरिया जैसे कच्ची बस्ती, सब्जी/अनाज मण्डी, सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे–बस इत्यादि पर कमजोर वर्गों से संवाद उपरांत मास्क विहीन लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण सुनिश्चित करना।
- विभिन्न संगठनों (व्यापारिक, नागरिक, सामाजिक व सभी धर्मगुरूओं इत्यादि), जनप्रतिनिधियो/पार्षदगणों से संवाद स्थापित करते हुए अभियान को जनजागरण अभियान की तर्ज पर चलाने हेतु समझाइश एवं सहयोग प्राप्त करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं/एनसीसी/एनएसएस स्काउट गाइड, एनजीओ, एनयूएलएम समूह एवं नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से टीम का गठन एवं सहयोग प्राप्त करना।
- स्कूल/कॉलेजों के शिक्षकों व विद्यार्थियों से संवाद एवं सहयोग प्राप्त करना।
- प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नागरिकों/वाणिज्यिक स्थलों/विवाह स्थलों/सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलों पर सीज/शास्ती की कार्यवाही।
- नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र का दौरा कर, कोविड–19 रोकथाम के प्रयास कर, उपरोक्त दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावें।

उच्च स्तर पर कोविड–19 की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। अतः आपको पुनः स्मरण कराया जाता है कि अभियान के अंतर्गत की गयी कार्यवाही की प्रगति सूचना निर्धारित गूगल ड्राईव में कोविड डेटाशीट्स पर उपनिदेशक (क्षेत्रीय), आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्वयं के स्तर पर पर्यवेक्षण करने के पश्चात् नियमित रूप से इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए/डीएलबी/पीएचई/कोरोना/2021/151675-712 दिनांकः 27/12/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
5. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव